इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 दिसम्बर 2012—अग्रहायण 16, शक 1934

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख)(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर 2012

एफ क्र. 15-01-2012-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा उक्त संहिता की धारा 68, 70, 107, 108, 109, 110, 118, 119, 120, 124, 125, 129, 130, 131, 233, 234, 235, 236, 237, 242, 243, 244, 245 तथा 246 के अधीन राजस्व अधिकारी की शक्तियां उक्त संहिता की धारा 108 के अधीन ग्राम का भू-अभिलेख तैयार करने के लिये राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, अधीक्षक, भू-अभिलेख (नियमित) जिला पन्ना को प्रदान करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत केसरी, सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर 2012

क्र. एफ. 15-01-2012-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 15-01-2012-सात-6, दिनांक 4 दिसम्बर 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत केसरी, सचिव.

Bhopal the 4th December 2012

F. No.15-01-2012-Seven-6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 24 of the M. P. Land Revene Code, 1959 (No. 20 of 1959) the State Government, hereby, confer the powers of Revenue Office under Section 68, 70, 107, 108, 109, 110, 118, 119, 120, 124, 125, 129, 130, 131, 233, 234, 235, 236, 237, 242, 243, 244, 245 and 246 of the said Code on

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

Superintendent of Land Record (Permanent) District Panna an officer authorized by the State Government for preparing the Land Records of village under section 108 of the said code.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
AJIT KESARI, Secy.

भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर 2012

एफ क्र. 15-01-2012-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 108 में विहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन निदेश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में वर्णित गांवों के लिये उसके कॉलम (3) में वर्णित पदाधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे :—

अनुसूची

तहसील : गुनौर जिला : पन्ना

क्र.	पटवारी ह. क्र. सहित गांव/ गांवों का नाम	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये प्राधिकृत पदाधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)
01.	01. कमलपुरा 02. सुगरहा पटवारी हल्का नं. 39	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला पन्ना.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत केसरी, सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर 2012

पृ. क्र. एफ. 15-01-2012-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 15-01-2012-सात-6, दिनांक 4 दिसम्बर 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत केसरी, सचिव.

Bhopal the 4th December 2012

F. No.15-01-2012-Seven-6.—In exercise of the powers vested under section 108 of the M. P. Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the village mentioned in column (2) of the schedule below by the officer mentioned in column (3) thereof.—

SCHEDULE

Tahsil : Gunaur District : Panna

S. No.	Name of village with P. C. No.	Designation of the Officer authorized to prepare record of rights
(1)	(2)	(3)
01.	01. Kamal Pura 02. Sugaraha P. C. No. 39	Superintendent of Land Records (permanent) District-Panna.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
AJIT KESARI, Secy.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 अक्टूबर 2012

क्र. डी-15-10-2008-चौदह-3.—समर्थन मूल्य पर "गेहूं" एवं "धान" की खरीदी का अधिक से अधिक लाभ मध्यप्रदेश के कृषकों को दिये जाने के उद्देश्य से समर्थन मूल्य पर राज्य शासन के द्वारा प्रोत्साहन राशि (बोनस) की घोषणा की जाती है.

मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 69 की उपधारा (1) एवं (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिये राज्य शासन के द्वारा नियुक्त संस्था अथवा ऐसी संस्था के द्वारा नियुक्त एजेन्सी के माध्यम से "गेहूं" एवं "धान" की समर्थन मूल्य पर खरीदी करने की स्थिति में राज्य शासन के द्वारा घोषित प्रोत्साहन राशि (बोनस) पर देय मण्डी फीस से छूट प्रदान की जाती है :

परन्तु मण्डी फीस के भुगतान से यह छूट केवल राज्य शासन के द्वारा घोषित प्रोत्साहन राशि (बोनस) पर राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से 31 जुलाई 2014 तक ही मान्य होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय पंडित, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 24 अक्टूबर 2012

क्र. डी-15-58-2010-चौदह-3.—भारत के सविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24 अक्टूबर 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय पंडित, उपसचिव.

Bhopal, the 24th October 2012

No. D-15-10-2008-XIV-3.—For extending the benefit of Minimum Support Price (MSP) to the maximum possible farmers of Madhya Pradesh, State Government declare Bonus on the MSP of "Wheat" and "Paddy".

In exercise of the powers conferred sub-section (1) and (2) of Section 69 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby, exempt, the Organisation appointed by the State Government, and the agency appointed by the said Organisation, for procurement of " Wheat" and "Paddy" on minimum support price, from payment of market fee, payable on the said Bonus declared by the State Government:

Provided that the above exemption from payment of market fee shall only be on the Bonus declared by the State Government and shall be available from the dated of publication of this notification till 31st July 2014.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
VIJAY PANDIT, Dy. Secy.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 21 नवम्बर 2012

फा. क्र. 17(ई)-83-03-3056-इक्कीस-ब(एक)-011-3504-2012.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्रमांक 17(ई) 83-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर 2010 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 दिनांक 24 सितम्बर 2010 में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 38 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

सारणी

अनु-क्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
"38.	ग्वालियर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 3, ग्वालियर.	श्री सतीश चन्द्र शर्मा, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 3 ग्वालियर."

F. No. 17(E) 83-03-3056-XXI-B(One)-011-3504-2012.— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17 (E)83-03-XXI-B(One), dated 16 September 2010 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 24th September 2010, namely:—

AMENDMENT

In the said notification, in the table, for serial number 38 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Name of the Judge of the Special Court
(1)	(2)	(3)	(4)
"38.	Gwalior	Additional Sessions Judge, Special Court No. 3 Gwalior.	Shri Satish Chandra Sharma, Additional Sessions Judge, Special Court No. 3 Gwalior.".

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2012

फा. क्र. 1-6-89-इक्कीस-ब-(एक)-3368-12-**शुद्धि-पत्र.**—मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में पृष्ठ 3372 पर दिनांक 14 सितम्बर 2012 को प्रकाशित मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-6-89-इक्कीस-ब(एक)-2657-12, दिनांक 6 सितम्बर 2012 में, अनुक्रमांक 3 के सामने, कॉलम (2) में "अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ग्वालियर" के स्थान पर, "प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ग्वालियर" पढ़ा जाए.

1-6-89-XXI-B-(One)-3368-12-CORRIGENDUM.— In the notification of the Government of Madhya Pradesh in the Law and Legislative Affairs Department published *vide* F. No. 1-6-89-XXI-B(I)-2657-12, dated 6th September 2012 in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 14th September 2012 at page 3372, against serial number 3, under column (2), for "Additional Session Judge, Gwalior" read "First Additional Session Judge, Gwalior".

भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2012

फा. क्र. 17(ई)-8-2012-इक्कीस-ब(एक)-3367-12.—मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय नियम, 2012 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई)8-2012-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 2 मार्च 2012 में, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 6 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित

प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

सारणी

अनु-क्रमांक	प्राधिकृत अधिकारी का नाम	मुख्यालय का स्थान	अधिकारिता
(1)	(2)	(3)	(4)
"6.	श्री एन.पी.सिंह, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश एवं पीठासीन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक-2 ग्वालियर.	ग्वालियर	राजस्व जिला ग्वालियर, शिवपुरी, गुना और अशोक नगर का समाविष्ट क्षेत्र.".

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी.

F. No. 17(E)-08-2012-XXI-B-(1)-3367-12.— In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 8 of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalayas Niyam, 2012, the State Government, in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendment in this Department's Notification F. No. 17(E)-08-2012-XXI-B(One), dated 2nd March 2012 and Notification of even number dated 20th September 2012, namely: —

AMENDMENTS

In the said notification, in the Table, for serial number 6 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

TABLE

S. No.	Name of authorised officer	Place of Head quarter	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)	(4)
"6.	Shri N. P. Singh, Ist Additional Sessions Judge and Presiding Judge, Special Court No. 2, Gwalior.	Gwalior	Area Comprising of revenue district Gwalior, Shivpuri, Guna and Ashoknagar.".

This notification shall come into force with immediate effect.

फा. क्र. 3(ए) 19-2003-इक्कीस-ब(एक).—यत:, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1022/89 अखिल भारतीय जजेस एसोसिएशन एवं अन्य विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में पारित, आदेश दिनांक 21 फरवरी, 2006 और राज्य मंत्रिपरिषद् के आदेश दिनांक 05 जून 2006 के अनुपालन में, विधि और विधायी कार्य विभाग ने अपने आदेश दिनांक 15 जून 2006 द्वारा मध्यप्रदेश में पदस्थ न्यायिक अधिकारियों को कतिपय सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

और, यत:, उपरोक्त आदेश दिनांक 15 जून 2006 के पैरा 8(2) के साथ पठित पैरा 16 में यह उपबंध है कि राज्य शासन, सेवारत/सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के उपचार के लिये निजी चिकित्सालयों को अधिसूचित करेगी;

अतएव, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30 अक्टूबर 2009 जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1, दिनांक 13 नवम्बर 2009 में प्रकाशित की गई थी और समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30 अगस्त 2010 जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1, दिनांक 10 सितम्बर 2010 में प्रकाशित की गई थी, के क्रम में राज्य शासन, संचालक मध्यप्रदेश स्वास्थ्य सेवाएं मध्यप्रदेश के परामर्श से, एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में वर्णित निजी चिकित्सालयों को सेवारत/सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी तथा उनके परिवार के सदस्यों के उपचार के लिये अधिसूचित करती है:—

सारणी

स. क्र.	जिला	चिकित्सालय का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	भोपाल	अग्रवाल हॉस्पिटल, ई-7, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म. प्र.).
2.	भोपाल	ग्लोबल लिवर एवं गैस्ट्रोएन्टेरोलॉजी हॉस्पिटल, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल (म.प्र.).
3.	भोपाल	डॉ. चावला विजन केयर एंड रिसर्च सेन्टर, ई-7, अरेरा कालोनी, भोपाल (म.प्र.).
4.	भोपाल	कृष्णा डायबिटिक क्लीनिक एवं एजुकेशनल रिसर्च सेन्टर, साउथ टी. टी. नगर, भोपाल (म. प्र.).
5.	भोपाल	डॉ. लाल पैथलेबस्, 131, गोल्डन टॉवर, II- जोन, एम. पी. नगर, भोपाल (म.प्र.).
6.	भोपाल	जे.के. हॉस्पिटल एण्ड मेडिकल रिसर्च सेन्टर, जे. के. टाउन कोलार रोड, भोपाल (म. प्र.).
7.	भोपाल	भोपाल केयर हॉस्पिटल, नूर महल, चौकी इमामबाड़ा के पास, भोपाल (म.प्र.).
8.	इंदौर	सिर्नजी हॉस्पिटल, स्कीम नं. 74-सी, बी-सेक्टर, विजय नगर, इंदौर.
9.	ग्वालियर	अग्रवाल हॉस्पिटल, एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट, एच-15, चेतकपुरी, ग्वालियर (म.प्र.).
10.	बैतूल	श्री जी गाडेकर हॉस्पिटल, इटारसी रोड, सदर, बैतूल (म.प्र.).

F. No. 3(A) 19-2003-XXI-B-(One).—WHEREAS, in compliance of the order dated 21st February, 2006 passed by the Supreme Court of India in Writ Petition (Civil) No. 1022/89 All India Judges Association and Others Versus Union of India and others and in compliance of the order dated 5th June, 2006 of the State Council, the Law and Legislative Affairs Department *vide* its order dated 15th June, 2006 granted certain facilities to the judicial Officers posted in Madhya Pradesh;

AND, WHEREAS, Para 8 (2) read with Para 16 of the aforesaid order dated 15th June, 2006 provide that the State Government shall notify private hospitals for treatment of working/retired judicial officers and their family members;

NOW, THEREFORE, in continuation of the department's notification of even number dated 30th October 2009 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part 1, dated 13th November 2009 and notification of even number dated 30th August 2010 which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-I dated 10th September 2010 the State Government, in consultation with the Director, Health Services, Madhya Pradesh hereby notify the private hospitals in the State mentioned in column (3) of the table below for treatment of working/retired judicial officers and their family members:—

TABLE

S. No. (1)	District (2)	Name of Hospitals (3)
1..	Bhopal	Agrawal Hospital, E-7, Arera Colony, Bhopal (MP).
2.	Bhopal	Global Liver and Gastroenterology, E-5, Arera Colony, Bhopal (MP).
3.	Bhopal	Dr. Chawla's Vision Care and Research Center, E-7, Arera Colony, Bhopal (MP).
4.	Bhopal	Krishna Diabetic Clinic and Educational Research Centre, South T.T. Nagar, Bhopal (MP).
5.	Bhopal	Dr. Lal Pathlabs, 131, Golden Tower, Zone-II, MP Nagar (MP).
6.	Bhopal	J. K. Hospital & Medical Research Centre, Kolar Road, Bhopal (MP).
7.	Bhopal	Bhopal Care Hospital, Noor Mahal Road, Near Chouki Imambada, Bhopal.
8.	Indore	Synergy Hospital, Scheme No. 74-C, Sector-B, Vijay Nagar, Indore (MP).
9.	Gwalior	Agrawal Hospital and Reserach Institute, H-15, Chetakpuri, Gwalior (MP).
10.	Betul	Shree-Ji Gadekar Hospital, Itarsi Road, Sadar, Betul (MP).

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2012

फा. क्र. 1(बी)-17-2004-इक्कीस-ब(दो)-**संशोधन.**—राज्य शासन द्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21 सितम्बर 2012 में निम्नानुसार संशोधन करता है.

उक्त आदेश की तृतीय एवं चतुर्थ पंक्ति में एक वर्ष की अवधि के लिये नियुक्ति अंकित हुई है जिसके स्थान पर तीन वर्ष दिनांक 6 जनवरी 2012 से 5 जनवरी 2014 तक पढ़ा जावे.

फा. क्र. 1 (बी)-09-2004-इक्कीस-ब(दो).— दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री गोवर्धन मालवीय पुत्र अमृतलाल मालवीय अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये बैतूल सत्र खण्ड के बैतूल राजस्व जिले के लिये अति. लोक अभियोजक, बैतूल नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

(**टीप.**—श्री गोवर्धन मालवीय की जन्मतिथि 22-8-1967 बाईस अगस्त उन्नीस सौ सढ़सठ है और उनकी आयु 62 वर्ष अवधि दिनांक 22-8-2029 बाईस अगस्त दो हजार उन्तीस को पूर्ण होगी.)

फा. क्र. 1 (बी)-09-2004-इक्कीस-ब(दो).— दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री भोजराज सिंह रघुवंशी, पुत्र स्व. श्री बलवीर सिंह रघुवंशी अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये बैतूल सत्र खण्ड के बैतूल राजस्व जिले के लिये अति. लोक अभियोजक, मुलताई नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

(**टीप.**—श्री भोजराज सिंह रघुवंशी की जन्मतिथि 14-8-1961 चौदह अगस्त उन्नीस सौ इकसठ है उनकी आयु 62 वर्ष अवधि दिनांक 14-8-2023 चौदह अगस्त दो हजार तेईस को पूर्ण होगी.)

फा. क्र. 1 (बी)-09-2004-इक्कीस-ब(दो).— दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री राजेश कुमार साबले, पुत्र श्री गंगाधर राव साबले अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये बैतूल सत्र खण्ड के बैतूल राजस्व जिले के लिये अति. लोक अभियोजक, मुलताई नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

(**टीप.**—श्री राजेश कुमार साबले की जन्मतिथि 2-6-1968 दो जून उन्नीस सौ अड़सठ है और उनकी आयु 62 वर्ष अवधि दिनांक 2-6-2030 दो जून दो हजार तीस को पूर्ण होगी.)

फा. क्र. 1 (बी)-37-2004-इक्कीस-ब(दो).— दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री राजीव खेर, पुत्र स्व. श्री प्रभाकर राव खेर, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये अशोकनगर सत्र खण्ड के अशोकनगर राजस्व जिले के लिये अति. लोक अभियोजक, अशोकनगर नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

(**टीप.**—श्री राजीव खेर की जन्मतिथि 6-2-1957 छः फरवरी उन्नीस सौ सत्तावन है और उनकी आयु 62 वर्ष अवधि दिनांक 6-2-2019 छः फरवरी दो हजार उन्नीस को पूर्ण होगी.)

भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 2012

फा. क्र. 1(सी)-32-11-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 52 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री बापूसिंह ठाकुर, जिला लोक अभियोजन अधिकारी, रीवा को विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन रीवा संभाग रीवा के लंबित प्रकरणों में शासन की ओर से पैरवी करने हेतु उनकी पदस्थापना तक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एम. चतुर्वेदी, सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

प्रशासन अकादमी

(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2012

विभागीय परीक्षा की सूचना तथा कार्यक्रम

क्र. जावक-8815.—प्रदेश के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों जिनकी विभागीय परीक्षा उनके विभागों द्वारा निर्धारित की गई हो, के लिए विभागीय परीक्षाएं दिनांक 7 जनवरी, 2013 से आयुक्त, भोपाल, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, रीवा शहडोल एवं नर्मदापुरम होशंगाबाद संभाग द्वारा निर्धारित स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार होंगी:—

स. क्र.	प्रश्न-पत्र का विषय	समय
(1)	(2)	(3)
	7 जनवरी 2013	
1	पहला प्रश्नपत्र-दांडिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) सामान्य प्रशासन, राजस्व व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये,	प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक

(1)	(2)	(3)
2	पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया-पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल अधिनियम तथा नियमों की पुस्तकों सहित.),	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
3	विधि तथा प्रक्रिया-उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये, (पुस्तकों सहित)	—तदैव—
4	विधि तथा प्रक्रिया-वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल नियमों की पुस्तकों सहित)	—तदैव—
5	पहला प्रश्नपत्र-सहकारिता सामान्य (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये,	—तदैव—
59	विद्युत् संबंधी विधियां-ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
6	दूसरा प्रश्नपत्र दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (दांडिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना) सामान्य प्रशासन, राजस्व व भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये,	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
7	दूसरा प्रश्नपत्र—सहकारिता तथा सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये,	—तदैव—
8	समाज कल्याण (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये	—तदैव—
60	भू-योजन तथा विद्युत् सुरक्षा-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये	—तदैव—
	8 जनवरी, 2013	
9	पहला प्रश्नपत्र—प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-ए आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से, दोपहर 1.00 बजे तक.
10.	पहला प्रश्नपत्र—प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-बी आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
11	पहला प्रश्नपत्र—प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) भाग-सी आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
12	उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम—उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
13	प्रश्नपत्र—खनिज प्रबंध (पुस्तकों सहित) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
14	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया प्रथम (बिना पुस्तकों के) पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
61	विद्युत् संस्थापनायें—ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये.	—तदैव—
15	दूसरा प्रश्नपत्र—प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) सामान्य प्रशासन, राजस्व, आदिम जाति कल्याण एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
16	प्रक्रिया, विकास योजनाओं, राज्यों के साधनों राज्य के नियम, पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान— उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—

(1)	(2)	(3)
17	तीसरा प्रश्नपत्र—बैंकिंग (बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
18	समाज शिक्षा (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये	—तदैव—
19	लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया—द्वितीय प्रश्नपत्र-पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (पुस्तकों सहित)	—तदैव—
62	लेखा व स्थापना—ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री, कनिष्ठ यंत्री एवं पर्यवेक्षकों के लिये.	—तदैव—

09 जनवरी, 2013

20	तीसरा प्रश्न-पत्र प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
21	पुस्तपालन तथा कर निर्धारण—(पुस्तकों सहित) वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये	—तदैव—
22	प्रश्नपत्र प्रथम-वन विधि (बिना पुस्तकों के), सहायक वन संरक्षकों के लिये	—तदैव—
23	प्रश्नपत्र पहला— प्रक्रिया (बिना पुस्तकों के) वन विभाग के वन क्षेत्रपालों के लिये	—तदैव—
24	''व्यवहारिक परीक्षा'' गृह (पुलिस) विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
63	स्विच गैयर तथा संरक्षण-ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्रियों के लिये	—तदैव—
25	कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया—वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक
26	सिविल विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित) सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
27	''पुलिस शाखा'' गृह (पुलिस) विभाग के अधिकारियों के लिये	—तदैव—
28	दूसरा प्रश्नपत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन विभाग के सहायक वन संरक्षकों के लिये	—तदैव—
29	तीसरा प्रश्न पत्र-सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) वन विभाग के सहायक वन संरक्षकों के लिये	—तदैव—
30	स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
31	चौथा प्रश्नपत्र—सहकारी लेखा तथा परीक्षण (बिना पुस्तकों के) भाग-1 लेखा तथा भाग-2 सहकारिता लेखा परीक्षण, सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.	—तदैव—
32	समाज शास्त्र (पुस्तकों सहित) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
64	विद्युत् रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्त क्षेत्र (इंशूलेशन को-ऑर्डिनेशन व हजार्ड्स एरिया) ऊर्जा विभाग के सहायक यंत्री (वि/सु) के लिये.	—तदैव—

(1)	(2)	(3)
	10 जनवरी, 2013	
33	लेखा प्रथम (बिना पुस्तकों के) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
34	लेखा प्रथम (बिना पुस्तकों के) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	—तदैव—
35	लेखा प्रथम (बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये	—तदैव—
36	''न्यायिक शाखा'' गृह (पुलिस) विभाग के अधिकारियों के लिये	—तदैव—
37	लेखा (पुस्तकों सहित)—उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये	—तदैव—
38	लेखा (पुस्तकों सहित)—आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये	—तदैव—
39	लेखा (पुस्तकों सहित)—उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये	—तदैव—
40	लेखा (पुस्तकों सहित)—खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये	—तदैव—
41	लेखा (पुस्तकों सहित)—जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये	—तदैव—
65	लेखा प्रथम (बिना पुस्तकों के) महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये	—तदैव—
42	लेखा द्वितीय (पुस्तकों सहित) सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
43	लेखा द्वितीय (पुस्तकों सहित) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये	—तदैव—
44	लेखा द्वितीय (पुस्तकों सहित) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये	—तदैव—
66	लेखा द्वितीय (पुस्तकों सहित) महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये	—तदैव—
	11 जनवरी, 2013	
45	लेखा भाग-1 (बिना पुस्तकों के) सिविल पशु चिकित्सा सेवा, पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 11.00 बजे तक.
46	लेखा प्रथम भाग-1 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये	—तदैव—
47	लेखा (पुस्तकों सहित) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
48	विधि तथा प्रक्रिया प्रथम (बिना पुस्तकों के) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये	—तदैव—

(1)	(2)	(3)
49	द्वितीय—मध्यप्रदेश के मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.	प्रात: 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक.
50	लेखा द्वितीय (बिना पुस्तकों के) वन विभाग के वन क्षेत्रपालों के लिये	—तदैव—
65	पंचायत राज्य प्रशासन विधि तथा प्रक्रिया—सहायक कलेक्टरों, डिप्टी कलेक्टरों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
68	तृतीय—महिला एवं बाल कल्याण—महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये	—तदैव—
51	लेखा भाग-2 (पुस्तकों सहित) सिविल पशु चिकित्सा सेवा, पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक.
52	लेखा प्रथम भाग-2 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये	—तदैव—
53	''व्यवहारिक परीक्षा'' (पुस्तकों सहित) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के किसी मामलों में आदेश या प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा, सहकारिता विभाग के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
54	तृतीय प्रश्न पत्र—प्रक्रिया तथा लेखा (पुस्तकों सहित) सहायक वन संरक्षकों के लिये	—तदैव—
55	लेखा द्वितीय (बिना पुस्तकों के) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—
56	लेखा तथा प्रक्रिया—द्वितीय (पुस्तकों सहित) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये	—तदैव—
57	प्रश्नपत्र तृतीय—अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति विकास जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.	—तदैव—

15 जनवरी, 2013

58	हिन्दी निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये.	दोपहर 10.00 से 12.00 बजे तक.

नोट :—

1. उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्नपत्रों में पुस्तकों की सहायता ली जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये कलेक्टर कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी. उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें ले जाना होंगी.

2. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को, जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपने नाम उचित मार्ग द्वारा सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिये. परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित है, का स्पष्ट उल्लेख आवेदन-पत्र में भरें.

3. सामान्य प्रशासन विभाग (अनुसूचित जाति आदिवासी सेल के) ज्ञापन क्र. 1/15/77-1/अ.स./जनजाति सेवा, दिनांक 15 फरवरी 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण

होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है. ये छूट अखिल भारतीय सेवा से संबंधित परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होगी. परीक्षार्थी तत्संबंधी में अपना प्रमाण-पत्र अपने विभागाध्यक्षों को प्रस्तुत करेंगे. इन प्रमाण-पत्रों को प्रशासन अकादमी आर. सी. वी. पी. नरोन्हा, म. प्र. भोपाल को नहीं भेजा जावे. संबंधित विभागाध्यक्ष परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ अनुसूचित जाति/जनजाति संबंधी प्रमाण-पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 7-1-2013 तक भेजेंगे. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण-पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से आयुक्तों को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. ये प्रमाण-पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे.

4. परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण-पत्र उन्हें प्राप्त होंगे उनका उल्लेख शासन को भेजे जाने वाली सूची में अनिवार्य रूप से करें. उसके आधार पर ही उन्हें अंकों में छूट प्रदाय की जा सकेगी. कृपया स्पष्ट उल्लेख करें कि परीक्षार्थी सामान्य या अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधी है. एस.सी./एस.टी. दर्शाकर कोष्टक में (प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया) जैसा भ्रमित उल्लेख परीक्षार्थी वाली सूची में न किया जाय.

गोपा पाण्डेय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 2012

क्र. 9018-3465-अका-विपप्र-2012.— राज्य शासन द्वारा सामान्य प्रशासन, राजस्व, आदिम जाति कल्याण एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 7 अगस्त 2012 को प्रश्नपत्र-प्रथम प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया भाग-बी, सी एवं द्वितीय विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	उच्चस्तर	
	भोपाल संभाग	
1.	सुश्री रूचिका चौहान	सहायक कलेक्टर
2.	कु. तृप्ति श्रीवास्तव	डिप्टी कलेक्टर
3.	कु. रितु चौहान	डिप्टी कलेक्टर
	निम्नस्तर	
	भोपाल संभाग	
1.	श्री जे. विजय कुमार	सहायक कलेक्टर
2.	श्री बी. विजय दत्ता	सहायक कलेक्टर
3.	श्री मोहित बुन्दस	सहायक कलेक्टर
4.	श्री सौरभ कुमार सुमन	सहायक कलेक्टर
5.	श्री अनुग्रह पा	सहायक कलेक्टर
6.	सुश्री नेहा मारव्या	सहायक कलेक्टर
7.	श्री हरजिन्दर सिंह	सहायक कलेक्टर
8.	श्री व्ही. एस. चौधरी कोलसानी	सहायक कलेक्टर
9.	श्रीमती अंजली सिंह ठाकुर	डिप्टी कलेक्टर
	होशंगाबाद संभाग	
10.	श्रीमती सरिता धुर्वे	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
11.	श्री विजय सिंह सराठिया	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
12.	श्री संतोष पथौरिया	राजस्व निरीक्षक
	उज्जैन संभाग	
13.	श्री अभिषेक गेहलोत	डिप्टी कलेक्टर
14.	श्री श्यामेन्द्र जायसवाल	डिप्टी कलेक्टर
	जबलपुर संभाग	
15.	श्री नम: शिवाय अरजरिया	डिप्टी कलेक्टर
16.	श्री ऋषि पंवार	डिप्टी कलेक्टर
17.	कु. साधना देवी सिंगराम	डिप्टी कलेक्टर
18.	श्री गणेश कुमार जायसवाल	डिप्टी कलेक्टर
19.	श्री ओम प्रकाश सनोडिया	डिप्टी कलेक्टर

(1)	(2)	(3)
20.	श्री चन्द्र प्रताप गोहल	डिप्टी कलेक्टर
21	कु. सुलेखा ठाकुर	डिप्टी कलेक्टर
22.	श्री हीरालाल तिवारी	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
23.	श्री नन्दलाल मरकाम	राजस्व निरीक्षक
24.	श्री जगभान शाह उईके	राजस्व निरीक्षक
25.	श्री शैलेश गौड़	राजस्व निरीक्षक

ग्वालियर संभाग

26.	सुश्री शिखा पोरस	डिप्टी कलेक्टर
27.	श्री मदन मोहन शर्मा	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
28.	श्री चन्द्र मोहन शर्मा	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
29.	श्री विनोद कुमार चौरसिया	राजस्व निरीक्षक

इन्दौर संभाग

30.	श्री अरविन्द चौहान	डिप्टी कलेक्टर
31.	श्री मुकेश मालवीय	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
32.	श्री पवन कुमार वास्कले	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
33.	श्री प्रकाश परिहार	नायब तहसीलदार
34.	श्री राकेश सस्तियां	नायब तहसीलदार
35.	श्री महेश सिंह सोलंकी	नायब तहसीलदार
36.	श्री विजय तलवारे	नायब तहसीलदार

सागर संभाग

37.	सुश्री सपना स्मृति खेमरिया	डिप्टी कलेक्टर
38.	डॉ. अनिल कुमार गुप्ता	सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख.
39.	श्री रज्जन सिंह	राजस्व निरीक्षक

रीवा संभाग

40.	सुश्री षणमुख प्रिया आर	सहायक कलेक्टर

शहडोल संभाग

41.	श्री लालमणि प्रजापति	राजस्व निरीक्षक
42.	श्री शिवकुमार सिंह	राजस्व निरीक्षक
43.	श्री संतोष कुमार चौधरी	राजस्व निरीक्षक
44.	श्री हरिहर प्रसाद पनिका	राजस्व निरीक्षक
45.	श्री प्रेमलाल चौधरी	राजस्व निरीक्षक

क्र. 9020-3456-अका-विपप्र-2012.— राज्य शासन द्वारा सभी विभागों के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 14 अगस्त 2012 को प्रश्नपत्र ''हिन्दी'' विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

उच्चस्तर

भोपाल संभाग

1.	श्री विजय कुमार जे.	सहायक कलेक्टर
2.	श्री हरजिन्दर सिंह	सहायक कलेक्टर
3.	श्री अनुग्रह पा	सहायक कलेक्टर

रीवा संभाग

4.	श्रीमती षणमुख प्रिया आर	सहायक कलेक्टर
5.	श्री नीलाम्बर मिश्र	डिप्टी कलेक्टर
6.	श्री राजीव कुमार पाण्डेय	नायब तहसीलदार
7.	श्री आशीष अग्रवाल	नायब तहसीलदार
8.	श्री वीरेन्द्र कुमार पटेल	नायब तहसीलदार
9.	श्री राज नारायण पाण्डेय	राजस्व निरीक्षक

क्र. 9022-3446-अका-विपप्र-2012.— राज्य शासन द्वारा जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 13 अगस्त 2012 को प्रश्नपत्र-मध्यप्रदेश के मूलभूत तथ्य एवं ग्रामीण विकास द्वितीय (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)

उच्चस्तर

इन्दौर संभाग

1.	श्री रविन्द्र देवड़ा	सहायक संचालक

शहडोल संभाग

2.	श्री शरीफ मोहम्मद सिद्दीकी	सहायक जनसंपर्क अधिकारी.

क्र. 9024-3476-अका-विपप्र-2012.— राज्य शासन द्वारा पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 8 अगस्त 2012 को प्रश्न पत्र-स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम (बिना पुस्तकों के) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	उच्चस्तर	
	उज्जैन संभाग	
1.	श्री छगन सिंह बामनिया	अधीक्षक, बालगृह
	इन्दौर संभाग	
2.	कु. भारती अवास्या	अधीक्षक
	निम्नस्तर	
	रीवा संभाग	
3.	श्री जितेन्द्र कुमार गुप्ता	अधीक्षक, सम्प्रेक्षण गृह

क्र. 9026-3450-अका-विपप्र-2012.— राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 8 अगस्त 2012 को प्रश्नपत्र-तृतीय सामान्य विधि (पुस्तकों सहित) विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अनु.	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
	भोपाल संभाग	
1.	श्री कलिराम उईके	वन क्षेत्रपाल
2.	श्री सुभाष शर्मा	वन क्षेत्रपाल
	सागर संभाग	
3.	श्री माधोराव उईके	वन क्षेत्रपाल
3	श्री दिनेश मौर्य	वन क्षेत्रपाल
	इन्दौर संभाग	
5.	श्री सरदार सिंह चौहान	वन क्षेत्रपाल
	जबलपुर संभाग	
6.	श्री कुलदीप राजौरिया	वन क्षेत्रपाल
7.	श्री राजेन्द्र सिंह चौहान	वन क्षेत्रपाल
8.	श्री क्रांति झारिया	वन क्षेत्रपाल
9.	कु. अंजना मर्सकोले	वन क्षेत्रपाल
10.	श्री सुरसिंग कल्वेलिया	वन क्षेत्रपाल
11.	कु. प्रिती शाक्य	वन क्षेत्रपाल
12.	श्रीमती विध्या गिनारे	वन क्षेत्रपाल
13.	श्री अनिल कुमार क्षत्रिय	वन क्षेत्रपाल
14.	श्री देवराज मिश्रा	वन क्षेत्रपाल
	रीवा संभाग	
15.	श्री लक्सा सोलंकी	वन क्षेत्रपाल
	शहडोल संभाग	
16.	श्री दिनेश ठाकुर	वन क्षेत्रपाल
	होशंगाबाद संभाग	
17.	श्रीमती सुकृति ओसवाल	वन क्षेत्रपाल
18.	कु. मोनिका मण्डलोई	वन क्षेत्रपाल
19.	श्री चित्रक सिंह सोलंकी	वन क्षेत्रपाल
20.	श्री रामस्वरुप उईके	वन क्षेत्रपाल

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपा पाण्डेय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश

शहडोल, दिनांक 9 नवम्बर 2012

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-32-1999-1-4-दिनांक 3 मार्च 1999 के पालन में सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक 4 के नियम 8 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, डॉ. अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर, शहडोल, मध्यप्रदेश वर्ष 2013 के लिये निम्नानुसार दर्शायी गई तारीखों को पूरे दिन के लिये 3 स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं:—

क्र.	जिला	अवकाश का दिनांक	दिन	पर्व
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	शहडोल	14 जनवरी 2013	सोमवार	मकर संक्रांति
2.	-''-	28 मार्च 2013	गुरुवार	होली का दूसरा दिन
3.	-''-	4 नवम्बर 2013	सोमवार	दीपावली का दूसरा दिन

उपरोक्त स्थानीय अवकाश कोषालय/उपकोषालयों तथा बैंकों पर लागू नहीं होंगे.

अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 5 नवम्बर 2012

प्र. क्र. 1-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम के धारा 5-क के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	हरसूद	बेड़ियाव	2910	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के एफआरएल पूरक के अन्तर्गत डूब में आने के कारण.

नोट.—भूमि के नक्शे व (प्लान) आदि (1) कार्यालय कलेक्टर जिला खण्डवा, (2) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा, (3) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना क्र. 5, खण्डवा में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम, दिनांक 8 नवम्बर 2012

क्र. 5197-भू-अर्जन-2012-प्र.क्र. 10-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रतलाम	जावरा	पेलादड़ी	0.46	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रतलाम	पेलादड़ी तालाब की पाल निर्माण एवं आबादी में छुटे हुए सर्वे नंबरों की डूब भूमि का अर्जन.
		देहरी	0.76		
			योग 1.22		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अलीराजपुर, दिनांक 12 नवम्बर 2012

क्र. 1377-भू-अर्जन-रीडर-1-2012-प्र. क्र. 2-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अलीराजपुर	अलीराजपुर	लखनकोट	10.24	डिप्टी चीफ इन्जीनियर (निर्माण) वेस्टर्न रेलवे (बड़ौदा).	छोटा उदयपुर-धार हेतु रेलवे लाईन.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, अलीराजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1374-भू-अर्जन-रीडर-1-2012-प्र. क्र. 3-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अलीराजपुर	अलीराजपुर	हरसवाट	14.13	डिप्टी चीफ इन्जीनियर (निर्माण) वेस्टर्न रेलवे (बड़ौदा).	छोटा उदयपुर-धार हेतु रेलवे लाईन.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, अलीराजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1371-भू-अर्जन-रीडर-1-2012-प्र. क्र. 4-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अलीराजपुर	अलीराजपुर	रिछवी	1.25	डिप्टी चीफ इन्जीनियर (निर्माण) वेस्टर्न रेलवे (बड़ौदा).	छोटा उदयपुर-धार हेतु रेलवे लाईन.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, अलीराजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नीमच, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नीमच, दिनांक 16 नवम्बर 2012

क्र. 2080-भू-अर्जन-2012-प्र.क्र. 01-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नीमच	नीमच	हनुमन्त्या पंवार	3.050	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नीमच.	ठिकरिया मध्यम सिंचाई योजना अन्तर्गत जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
		सिरखेड़ा	9.550		
		बिसलवास सोनगरा	0.560		
		सकरानी	0.300		
		केनपुरिया	0.300		
		जवासा	0.140		
		कुलयोग . .	13.900		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड-नीमच के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 16 नवम्बर 2012

क्र. जि.भू.-अ-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन का यह भी निर्देश है कि धारा 5-क के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) एवं (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का कारण
जिला	तहसील	ग्राम	निम्न सर्वे नम्बर का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी	बिठली प.ह.नं. 107/50 रा.नि.मं. सिवनी. भाग-1 .	अशासकीय भूमि ख.नं.226/1, 339, 340 कुल रकबा 1.00 हेक्टर.	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे नागपुर.	छिन्दवाड़ा-नैनपुर मण्डला फोर्ट छोटी रेल लाइन को बड़ी लाईन में परिवर्तन कर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन) सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. जि.भू.-अ.-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन का यह भी निर्देश है कि धारा 5-क के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) एवं (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	निम्न सर्वे नम्बर का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी	पीपरडाही प.ह.नं. 62/31 रा.नि.म. सिवनी भाग-1.	अशासकीय भूमि ख.नं. 480, 481, 482, 485, 489, 490,491/3, 539 540, 541, 547, 546, 549, 554/1 कुल रकबा 3.00.	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे नागपुर.	छिन्दवाड़ा-नैनपुर मण्डला फोर्ट छोटी रेल लाइन को बड़ी लाईन में परिवर्तन कर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन) सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. जि.भू.-अ.-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन का यह भी निर्देश है कि धारा 5-क के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) एवं (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	निम्न सर्वे नम्बर का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी	भोमा प.ह.नं. 35 रा.नि.मं. भोमा.	अशासकीय भूमि ख.नं. 114/1, 114/5 कुल रकबा 0.22.	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे नागपुर.	छिन्दवाड़ा-नैनपुर मण्डला फोर्ट छोटी रेल लाइन को बड़ी लाईन में परिवर्तन कर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन) सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. जि.भू.-अ.-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन का यह भी निर्देश है कि धारा 5-क के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) एवं (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	निम्न सर्वे नम्बर का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी	भोमाटोला प.ह.नं. 35 रा.नि.मं. भोमा.	अशासकीय भूमि ख.नं. 222, 224, 225/1, 225/2, 226/1, 230, 425, 422, 420/1, 3, 417, 415, 413/1, 409/1, कुल रकबा 2.35 हेक्टेयर.	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे नागपुर.	छिन्दवाड़ा-नैनपुर मण्डला फोर्ट छोटी रेल लाइन को बड़ी लाईन में परिवर्तन कर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन) सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. जि.भू.-अ.-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन का यह भी निर्देश है कि धारा 5-क के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) एवं (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	निम्न सर्वे नम्बर का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	केवलारी	केवलारी प.ह.नं. 31 रा.नि.मं. केवलारी.	अशासकीय भूमि ख.नं. 187, 183/3, 183/2, 188/1, 2, 191/1, 2, 192, 305, 167,168, 154/3, कुल रकबा 3.13 हेक्टेयर.	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे नागपुर.	छिन्दवाड़ा-नैनपुर मण्डला फोर्ट छोटी रेल लाइन को बड़ी लाईन में परिवर्तन कर निर्माण हेतु.

(2)भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) केवलारी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. जि.भू.-अ.-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन का यह भी निर्देश है कि धारा 5-क के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) एवं (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	निम्न सर्वे नम्बर का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	केवलारी	खैरा प.ह.नं. 05 रा.नि.मं., पलारी.	अशासकीय भूमि ख.नं. 253/2, 256, 257, 258, 267, 287/2, 286/1, 286/2, 284, 278, 275 कुल रकबा 3.10.	उप मुख्य अभियंता (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे नागपुर.	छिन्दवाड़ा-नैनपुर मण्डला फोर्ट छोटी रेल लाइन को बड़ी लाईन में परिवर्तन कर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) केवलारी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बालाघाट, दिनांक 19 नवम्बर 2012

क्र. 12416-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जनीय क्षेत्र (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	बालाघाट	भण्डारखोह प.ह.नं. 17.	निजी भूमि 2.072 हेक्टर (संरचना सहित).	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन सर्वेक्षण संभाग, बालाघाट जिला बालाघाट (म. प्र.).	भण्डारखोह जलाशय एवं नहरों के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, भू-अर्जन अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन सर्वेक्षण संभाग, बालाघाट के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक कुमार पोरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 23 नवम्बर 2012

क्र. भू.अ.अ.-2012-13-4352-प्र.क्र. 01-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील का नाम	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	हटा	भैसा रनेह अदनवारा बलेह योग . .	0.23 / 0.23	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स), दमोह.	गैसावाद-अदनवारा-वलेह मार्ग निर्माण में आने भूमि का अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखंड हटा एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 24 नवम्बर 2012

प्र. क्र. 01-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	बुधनी	पहाड़खेडी	0.133	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.	बनेटा उद्वहन सिंचाई योजना की वितरिका नहर का निर्माण.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बनेटा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत वितरिका नहर निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 02-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	बुधनी	अकोला	0.520	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.	बनेटा उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर का निर्माण.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बनेटा उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर का निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 19 नवम्बर 2012

क्र.-9506-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			कुल ख. नं.	कुल रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	केसली	केसली प.ह.नं. 25	65	14.36	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 सागर (म. प्र.).	सोनपुर मध्यम परियोजना के बांध निर्माण हेतु ग्राम केसली.
			योग . .	14.36		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है—सोनपुर मध्यम परियोजना के केसली नहर निर्माण हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 सागर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, देवरी के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

सागर, दिनांक 27 नवम्बर 2012

प्र. क्र.-9352-अ-82-11-12-अ.वि.अ.-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल कुल ख. नं.	कुल रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	बीना	पिपरिया	03	0.659	कार्यपालन यंत्री, संजय सागर, परियोजना बाह्य नदी संभाग गंजबासौदा.	रेहटी मध्यम परियोजना के मुख्य नहर निर्माण में जाने वाली निजी भूमि का अर्जन.
			योग . .	0.659		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है—रेहटी मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, बीना में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 22 नवम्बर 2012

क्र. 3297-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	चुरहट	अमरपुर	0.63	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.).	सिहावल नहर प्रणाली की कोष्टा माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 23 नवम्बर 2012

क्र. 3307-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	पुरवा	4.116	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्योंथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्योंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3309-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	टिकुरी	1.075	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्योंथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्योंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3311-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध

में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	सहिजवार	1.341	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्योंथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्योंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3313-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	पंछा	2.965	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्योंथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्योंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3315-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	सोहागी	5.504	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्योंथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्योंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3317-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	बड़ागांव 375	8.665	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्योंथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्योंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3319-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	खटिया	1.742	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग क्र. 1, रीवा मुख्यालय त्योंथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्योंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 23 नवम्बर 2012

क्र. 1255-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वार्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा ,अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	कुक्षी	निसरपुर	598.35	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि., न.घा.वि.प्रा. मान जोबट परियोजना, संभाग कुक्षी.	सरदार सरोवर परियोजना (अंतर राज्यीय प्रोजेक्ट) में डूब में आने के कारण.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, मान जोबट परियोजना, संभाग कुक्षी के कार्यालय में किया जा सकता है.

धार, दिनांक 27 नवम्बर 2012

क्र. 16323-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	धार	कुमार कराड़िया	3.059	डिप्टी चीफ इंजीनियर, (निर्माण) पश्चिमी रेलवे, रतलाम (म.प्र.).	दाहोद-इन्दौर नई बड़ी रेल लाईन परियोजना की स्थापना के लिए.
		योग :	3.059		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग, धार तथा डिप्टी चीफ इंजीनियर, (निर्माण) पश्चिमी रेलवे रतलाम (म.प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 16327-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	धार	एकलदुना (दिग्ठान)	4.397	डिप्टी चीफ इंजीनियर, (निर्माण) पश्चिमी रेलवे, रतलाम, (म.प्र.).	दाहोद-इन्दौर नई बड़ी रेल लाईन परियोजना की स्थापना के लिए.
		योग :	4.397		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग, धार तथा डिप्टी चीफ इंजीनियर, (निर्माण) पश्चिमी रेलवे रतलाम (म.प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 16331-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	धार	सुलावड	11.766	डिप्टी चीफ इंजीनियर, (निर्माण) पश्चिमी रेलवे, रतलाम (म.प्र.).	दाहोद-इन्दौर नई बड़ी रेल लाईन परियोजना की स्थापना के लिए.
		योग :	11.766		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग, धार तथा डिप्टी चीफ इंजीनियर, (निर्माण) पश्चिमी रेलवे रतलाम (म.प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 16336-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	धार	भिचौली	2.515	डिप्टी चीफ इंजीनियर, (निर्माण) पश्चिमी रेलवे, रतलाम (म.प्र.).	दाहोद-इन्दौर नई बड़ी रेल लाईन परियोजना की स्थापना के लिए.
		योग :	2.515		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग, धार तथा डिप्टी चीफ इंजीनियर, (निर्माण) पश्चिमी रेलवे रतलाम (म.प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 16341-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वांछित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	धार	बाक्साना	13.175	डिप्टी चीफ इंजीनियर, (निर्माण) पश्चिमी रेलवे, रतलाम, म.प्र.	दाहोद-इन्दौर नई बड़ी रेल लाईन परियोजना की स्थापना के लिए.
		योग :	13.175		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अनुविभाग, धार तथा डिप्टी चीफ इंजीनियर, (निर्माण) पश्चिमी रेलवे रतलाम (म.प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 30 अक्टूबर 2012

क्र. 1901-भू-अर्जन-नहर-2012-प्र. क्र. 01-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	अंजड़	रणगॉवड़ेव	0.330	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27, राजपुर जिला बड़वानी.	इंदिरा सागर परियोजना की तलवाड़ा वितरण शाखा के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें) बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1902-भू-अर्जन-नहर-2012-प्र. क्र. 02-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	अंजड़	कोयड़िया	3.974	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27, राजपुर जिला बड़वानी.	इंदिरा सागर परियोजना की तलवाड़ा/बांड़ी वितरण शाखा के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बड़वानी, दिनांक 31 अक्टूबर 2012

क्र. 1914-भू-अर्जन-नहर-2012-प्र. क्र. 06-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	अंजड़	हरणगॉव	1.336	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27, राजपुर जिला बड़वानी.	इंदिरा सागर परियोजना की तलवाड़ा/बांड़ी वितरण शाखा के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1915-भू-अर्जन-नहर-2012-प्र. क्र. 07-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5)

में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	अंजड़	बजट्टा	3.346	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27 राजपुर, जिला बड़वानी.	इंदिरा सागर परियोजना की तलवाड़ा वितरण शाखा के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1916-भू-अर्जन-नहर-2012-प्र. क्र. 8-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	अंजड़	पीपल्याड़ेव	4.696	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27 राजपुर, जिला बड़वानी.	इंदिरा सागर परियोजना की तलवाड़ा वितरण शाखा के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1919-भू-अर्जन-नहर-2012-प्र. क्र. 9-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	अंजड़	पीपरीड़ेव	1.114	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27 राजपुर, जिला बड़वानी.	इंदिरा सागर परियोजना की तलवाड़ा वितरण शाखा के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), बड़वानी एंवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बड़वानी, दिनांक 6 नवम्बर 2012

क्र. 1949-भू-अर्जन-नहर-2012-प्र. क्र. 10-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	अंजड़	सांगोदा	2.473	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27 राजपुर, जिला बड़वानी.	इंदिरा सागर परियोजना की तलवाड़ा वितरण शाखा के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहर), बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27, राजपुर, जिला बड़वानी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बड़वानी, दिनांक 26 नवम्बर 2012

क्र. 2021-भू-अर्जन-नहर-2012-प्र. क्र. 11-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अंतर्गत, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	राजपुर	सिवई	4.268	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27 राजपुर, जिला बड़वानी.	इंदिरा सागर परियोजना की बॉड़ी वितरण शाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहर), बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27, राजपुर, जिला-बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 2022-भू-अर्जन-नहर-2012-प्र. क्र. 12-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अंतर्गत, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने

(5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	अंजड़	उजवनी	0.796	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27 राजपुर, जिला बड़वानी.	इंदिरा सागर परियोजना की तलवाड़ा की वितरण शाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहर), बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27, राजपुर, जिला-बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 2023-भू-अर्जन-नहर-2012-प्र. क्र. 13-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अंतर्गत, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	अंजड़	फत्यापुर	0.891	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27 राजपुर, जिला-बड़वानी.	इंदिरा सागर परियोजना की तलवाड़ा की वितरण शाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहर), बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27, राजपुर, जिला-बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 2024-भू-अर्जन-नहर-2012-प्र. क्र. 14-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अंतर्गत, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	राजपुर	नंदगॉव	7.859	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27 राजपुर, जिला बड़वानी.	इंदिरा सागर परियोजना की बॉड़ी वितरण शाखा नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहर), बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27, राजपुर, जिला-बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 2025-भू-अर्जन-नहर-2012-प्र. क्र. 15-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अंतर्गत, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	अंजड़	उचावद	4.410	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27 राजपुर, जिला-बड़वानी.	इंदिरा सागर परियोजना की तलवाड़ा वितरण एवं माईनर उपमाईनर नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहर), बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27, राजपुर, जिला-बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 2026-भू-अर्जन-नहर-2012-प्र. क्र. 16-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अंतर्गत, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	राजपुर	सनगांव	1.180	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27 राजपुर, जिला-बड़वानी.	इंदिरा सागर परियोजना की सनगांव माईनर वितरण शाखा एवं लघु नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहर), बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27, राजपुर, जिला-बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 2027-भू-अर्जन-नहर-2012-प्र. क्र. 17-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अंतर्गत, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	ठीकरी	बड़सलाय	11.227	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27 राजपुर, जिला-बड़वानी.	इंदिरा सागर परियोजना की खजुरी वितरण शाखा एवं माईनर उप माईनर नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहर), बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27, राजपुर, जिला-बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 2028-भू-अर्जन-नहर-2012-प्र. क्र. 18-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अंतर्गत, सभी संबधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	अंजड़	मंडवाड़ा	1.785	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27 राजपुर, जिला-बड़वानी.	इंदिरा सागर परियोजना की तलवाड़ा वितरण एवं माईनर उप माईनर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहर), बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27, राजपुर, जिला-बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 2029-भू-अर्जन-नहर-2012-प्र. क्र. 19-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अंतर्गत, सभी संबधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	ठीकरी	बान्दरकच्छ	15.599	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27 राजपुर, जिला-बड़वानी.	इंदिरा सागर परियोजना की खजुरी वितरण एवं माईनर उप माईनर नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहर), बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27, राजपुर, जिला-बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 2030-भू-अर्जन-नहर-2012-प्र. क्र. 20-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अंतर्गत, सभी संबधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	राजपुर	मंदिल	0.936	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27 राजपुर, जिला बड़वानी.	इंदिरा सागर परियोजना की बॉड़ी वितरण एवं माईनर शाखा लघु नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहर), बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27, राजपुर, जिला-बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 2031-भू-अर्जन-नहर-2012-प्र. क्र. 21-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अंतर्गत, सभी संबधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	अंजड़	साकड़	1.120	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27 राजपुर, जिला-बड़वानी.	इंदिरा सागर परियोजना की बाड़ी वितरण शाखा निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहर), बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27, राजपुर, जिला-बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

क्र. 2032-भू-अर्जन-नहर-2012-प्र. क्र. 22-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अंतर्गत, सभी संबधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	अंजड़	बंजारी	0.090	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27 राजपुर, जिला-बड़वानी.	इंदिरा सागर परियोजना की बंजारी वितरण शाखा लघु नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहर), बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-27, राजपुर, जिला-बड़वानी के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 7 नवम्बर 2012

क्र. 1040-भू-अर्जन-12-प्र. क्र. 1-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
देवास	खातेगांव	तमरखान	05.17 हे. एवं अन्य परिसम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, परियोजना, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-13, खण्डवा.	इंदिरा सागर के पूर्ण जलस्तर डूब से प्रभावित होने के कारण.

नोट.— भूमि के नक्शे (प्लान) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा एवं कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना एन.एच.डी.सी., खण्डवा क्रमांक 3 में देखा जा सकता है.

क्र. 1033-भू-अर्जन-12-प्र. क्र. 15-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
देवास	खातेगांव	सिराल्या रेवातीर.	02.05 हे. एवं अन्य परिसम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, परियोजना, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-13, खण्डवा.	इंदिरा सागर के पूर्ण जलस्तर डूब से प्रभावित होने के कारण.

नोट.— भूमि के नक्शे (प्लान) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा एवं कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, एन.एच.डी.सी., खण्डवा क्रमांक 3 में देखा जा सकता है.

देवास, दिनांक 12 नवम्बर 2012

क्र. 1070-भू-अर्जन-12-प्र. क्र. -अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
देवास	सतवास	रोहनिया	14.05 हे. एवं अन्य परिसम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, परियोजना, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-13, खण्डवा.	इंदिरा सागर के पूर्ण जलस्तर डूब से प्रभावित होने के कारण.

नोट.— भूमि के नक्शे (प्लान) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा एवं कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, एन.एच.डी.सी., खण्डवा क्रमांक 3 में देखा जा सकता है.

क्र. 1091-भू-अर्जन-12-प्र. क्र. 3-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
देवास	सतवास	खारिया प.ह.नं. 34 के कुल खसरा नं. 12.	03.98 एवं अन्य परिसम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, परियोजना, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-13, खण्डवा.	इंदिरा सागर के पूर्ण जलस्तर डूब से प्रभावित होने के कारण.

नोट.— भूमि के नक्शे (प्लान) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा एवं कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, एन.एच.डी.सी., खण्डवा क्रमांक 3 में देखा जा सकता है.

क्र. 1063-भू-अर्जन-12-प्र. क्र. 5-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
देवास	सतवास	सुरलाय	7.15 एवं अन्य परिसम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, परियोजना, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-13, खण्डवा.	इंदिरा सागर के पूर्ण जलस्तर डूब से प्रभावित होने के कारण.

नोट.— भूमि के नक्शे (प्लान) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा एवं कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, एन.एच.डी.सी., खण्डवा क्रमांक 3 में देखा जा सकता है.

क्र. 1077-भू-अर्जन-12-प्र. क्र. 6-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
देवास	सतवास	मगदरी सर्वे नम्बर 2	1.10 एवं अन्य परिसम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, परियोजना, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-13, खण्डवा.	इंदिरा सागर के पूर्ण जलस्तर डूब से प्रभावित होने के कारण.

नोट.— भूमि के नक्शे (प्लान) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा एवं कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, एन.एच.डी.सी., खण्डवा क्रमांक 3 में देखा जा सकता है.

क्र. 1084-भू-अर्जन-12-प्र. क्र. 7-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
देवास	सतवास	पोखरबुजुर्ग	8.12 एवं अन्य परिसम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, परियोजना, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-13, खण्डवा.	इंदिरा सागर के पूर्ण जलस्तर डूब से प्रभावित होने के कारण.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा एवं कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, एन.एच.डी.सी., खण्डवा क्रमांक 3 में देखा जा सकता है.

क्र. 1049-भू-अर्जन-2012-प्र. क्र. 8-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त कच्चे मकान के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
देवास	सोनकच्छ	कुलाला	1.07	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, देवास.	बुदासा तालाब योजना के अंतर्गत नहर निर्माण में ग्राम कुलाला तहसील सोनकच्छ की निजी भूमि रकबा 1.07 हे. अर्जित की जाने संबंधी.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास एवं कार्यालय भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, सोनकच्छ में देखा जा सकता है.

देवास, दिनांक 23 नवम्बर 2012

क्र. 1124-भू-अर्जन-12-प्र. क्र. 8-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
देवास	सतवास	भामर	14.23 एवं अन्य परिसम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, परियोजना, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत डूब से प्रभावित होने के कारण.

नोट.— भूमि के नक्शे (प्लान) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा एवं कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, एन.एच.डी.सी., खण्डवा क्रमांक 3 में देखा जा सकता है.

क्र. 1155-भू-अर्जन-12-प्र. क्र. 9-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
देवास	सतवास	निमलाय	6.84 एवं अन्य परिसम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, परियोजना, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत डूब से प्रभावित होने के कारण.

नोट.— भूमि के नक्शे (प्लान) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा एवं कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, एन.एच.डी.सी., खण्डवा क्रमांक 3 में देखा जा सकता है.

क्र. 1147-भू-अर्जन-12-प्र. क्र. 10-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
देवास	सतवास	खपरास	0.30 एवं अन्य परिसम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, परियोजना, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत डूब से प्रभावित होने के कारण.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा एवं कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, एन.एच.डी.सी., खण्डवा क्रमांक 3 में देखा जा सकता है.

क्र. 1139-भू-अर्जन-12-प्र. क्र. 11-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
देवास	सतवास	कोठडा	7.45 एवं अन्य परिसम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, परियोजना, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत डूब से प्रभावित होने के कारण.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा एवं कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, एन.एच.डी.सी., खण्डवा क्रमांक 3 में देखा जा सकता है.

क्र. 1117-भू-अर्जन-12-प्र. क्र. 12-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
देवास	खातेगांव	मिर्जापुर	6.50 एवं अन्य परिसम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, परियोजना, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत डूब से प्रभावित होने के कारण.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा एवं कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, एन.एच.डी.सी., खण्डवा क्रमांक 3 में देखा जा सकता है.

क्र. 1163-भू-अर्जन-12-प्र. क्र. 13-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
देवास	खातेगांव	नयापुरा	6.46 एवं अन्य परिसम्पत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, परियोजना, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक-13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत डूब से प्रभावित होने के कारण.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा एवं कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, एन.एच.डी.सी., खण्डवा क्रमांक 3 में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 8 नवम्बर 2012

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ-1552-12-पत्र क्र. . . -भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में)	(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	करसरा	0.519	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मैहर, जिला सतना.	बठिया करसरा बरेठी मार्ग का निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. खरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नीमच, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नीमच, दिनांक 16 नवम्बर 2012

क्र. 2094-भू-अर्जन-2012-प्र.क्र.-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नीमच	नीमच	चंगेरा	सर्वे नंबर 147, 148, 149, 150, 156, 157, 158, 159, 160 एवं 161 कुल रकबा : 8.040	सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, नीमच.	नवीन कृषि उपज मण्डी निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड-नीमच एवं सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, नीमच के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 20 नवम्बर 2012

प्र. क्र. 132-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	भितरवार	खेड़ा-II	0.345	कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दायीं तट नहर संभाग, नरवर, जिला शिवपुरी.	सिंध परियोजना की दो आब नहर पर खेड़ा माईनर के निर्माण हेतु.
			योग : 0.345		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 23 नवम्बर 2012

क्र. 9130-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं.

उपरोक्त के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 अर्जेन्सी क्लॉज के उपयोग की अनुमति प्राप्त है. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-5(क) के उपबंध उक्त उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, चूंकि राज्य शासन की राय में उक्त अधिनयम की धारा 17 की उपधारा (1) एवं (4) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	उमरेठ	ग्राम—उमरेठ ब. नं.-32 प.ह.नं.-05 रा.नि.मं.-उमरेठ.	रकबा 03.736 हेक्टेयर एवं (उक्त भूमि पर आने वाली सम्पत्तियां).	संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर, (मध्यप्रदेश).	सोनापिपरी-उमरेठ-मुआरी-अम्बाडा (एम.डी.आर.) मार्ग के उन्नयन एवं बायपास मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, संभागीय प्रबंधक, म.प्र. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर (मध्यप्रदेश) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, सहायक महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, छिन्दवाड़ा (मध्यप्रदेश), जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 30 नवम्बर 2012

क्र. 3345-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	भगवानपुर	6.299	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग, क्र. 1, रीवा मुख्यालय, त्योंथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्योंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3347-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी

को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	बड़ागांव 375	2.250	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग, क्र. 1, रीवा मुख्यालय, त्योंथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्योंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3349-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	बुदामा	4.450	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग, क्र. 1, रीवा मुख्यालय, त्योंथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्योंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3351-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	घोड्डिहा	1.130	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग, क्र. 1, रीवा मुख्यालय, त्योंथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्योंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3353-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	अतरसुई	1.189	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग, क्र. 1, रीवा मुख्यालय, त्योंथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्योंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3355-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	नष्टगवॉ	1.784	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग, क्र. 1, रीवा मुख्यालय, त्योंथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्योंथर उद्वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3357-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी

को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	अजौरा	2.080	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग, क्र. 1, रीवा मुख्यालय, त्योंथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्योंथर उद्‌वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3359-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	मलपार	1.143	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग, क्र. 1, रीवा मुख्यालय, त्योंथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्योंथर उद्‌वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3361-प्रका.-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	गोपालपुरवा	0.407	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, संभाग, क्र. 1, रीवा मुख्यालय, त्योंथर.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत त्योंथर उद्‌वहन योजना के माइनर नहर में आने वाली भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम, दिनांक 31 अक्टूबर 2012

क्र. 5105-भू-अर्जन-2012-प्र. क्र. 08-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रतलाम
(ख) तहसील—रावटी
(ग) ग्राम—डाबड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.18 हेक्टर.

सर्वे नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
68	0.04
122	0.12
200/1	0.02
योग . .	0.18

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—डाबड़ी तालाब नहर निर्माण अन्तर्गत अतिरिक्त निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण—अनुविभागीय अधिकारी, भू-अर्जन अधिकारी, सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 5103-भू-अर्जन-2012-प्र. क्र. 09-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रतलाम
(ख) तहसील—सैलाना
(ग) ग्राम—घोड़ादेह, सोमारूण्डीखुर्द, मानपुरा, झोसला
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.25 हेक्टर.

सर्वे नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
ग्राम—घोड़ादेह	
100	0.20
ग्राम—सोमारूण्डीखुर्द	
4	0.30
12	1.00
125	1.90
131/2	0.55
योग . .	3.75
ग्राम—मानपुरा	
22	1.00
ग्राम—झोसला	
126	0.30
महायोग . .	5.25

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—चावलाड़ी तालाब निर्माण अन्तर्गत प्रभावित अतिरिक्त निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण—अनुविभागीय अधिकारी, भू-अर्जन अधिकारी, सैलाना के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 21 नवम्बर 2012

प्र. क्र. 3-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की बघरूं मध्यम जलाशय परियोजना की मुख्य नहरों के निर्माण हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—त्योंदा
(ग) ग्राम—खामखेड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.440 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
426/2/4	0.050
426/2/5	0.130
426/2/6	0.130
426/2/2	0.130
योग . .	0.440

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है—बघरूं मध्यम जलाशय की दांयी तट की मुख्य नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, विदिशा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 4-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की बघरूं मध्यम जलाशय परियोजना की मुख्य नहरों के निर्माण हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—त्योंदा
(ग) ग्राम—कजरई
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.209 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
95	0.209

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है—बघरूं मध्यम जलाशय की दांयी तट की मुख्य नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, विदिशा में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आनंद कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अलीराजपुर, दिनांक 12 नवम्बर 2012

क्र. 1368-भू-अर्जन-2012-प्र.क्र. 1-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अलीराजपुर

(ख) तहसील—अलीराजपुर

(ग) ग्राम/शहर—भुरीयाकुआ

(घ) लगभग क्षेत्रफल— 6.50 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)	अधिग्रहित किया जाने वाला रकबा
(1)	(2)	(3)
13	2.02 मे से	0.82
15	0.05 मे से	0.02
16/2/1	0.24 मे से	0.05
16/2/2	0.23 मे से	0.10
16/2/3	0.23 मे से	0.12
16/2/4	0.23 मे से	0.14
16/2/5	0.24 मे से	0.23
16/2/6	0.23 मे से	0.23
16/3	1.25 मे से	0.55
19/1	1.22 मे से	0.17
95	0.45 मे से	0.13
96	0.48 मे से	0.08
97	0.91 मे से	0.85
98	0.60 मे से	0.46
99	0.76 मे से	0.09
100	0.85 मे से	0.02
108	0.61 मे से	0.13
112/1	0.61 मे से	0.38
112/2	0.16 मे से	0.16
112/3	0.16 मे से	0.16
112/4	0.16 मे से	0.16
112/5	0.16 मे से	0.16
114	0.52 मे से	0.22
135 पेकी	0.52 मे से	0.29
135 पेकी	1.56 मे से	0.26
136	0.35 मे से	0.32
137	0.52 मे से	0.20
योग . .	15.32 मे से	6.50

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—छोटा उदेयपुर-धार रेल्वे लाईन हेतु भू-अर्जन

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, अलीराजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 2 नवम्बर 2012

क्र. 3182-प्रशासक.-भू-अर्जन-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी /शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—सिरमौर

(ग) ग्राम—नदना

(घ) क्षेत्रफल—1.551 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
424	0.255
425	0.087
435	0.222
436	0.111
437	0.111
438	0.096
439	0.048
440	0.111
441	0.045
458	0.165
459	0.189
460	0.016
461	0.225
464	0.087
योग :	1.551

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नेवूहा वितरक नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 22 नवम्बर 2012

क्र. 3293-प्रका-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, एतद्द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—चुरहट

(ग) ग्राम—कोष्टा कोठार

(घ) क्षेत्रफल—1.34 हेक्टर.

खसरा नं. (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
निजी भूमि	
90	0.07
146	0.01
147	0.02
149	0.02
148	0.06
150	0.01
188	0.01
187	0.04
191	0.03
192	0.03
193	0.12
208	0.01
211	0.07
212	0.12
253	0.13
252	0.02
877	0.04
258	0.01
259	0.01
261	0.04
262	0.10
260	0.10
कुल निजी भूमि	1.07

(1)	(2)
म. प्र. शासन की भूमि	
24	0.12
26	0.02
190	0.01
213	0.02
189	0.10
कुल शासकीय भूमि योग . .	0.27
महा योग . . .	1.34

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत चुरहट वितरक नहर की मिसिरगवां माइनर नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थिति संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

सीधी, दिनांक 22 नवम्बर 2012

क्र. 3295-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—चुरहट

(ग) ग्राम—बड़ोखर

(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.91 हेक्टर.

खसरा नं. (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
निजी भूमि	
550	0.02
551	0.06
624/2	0.12
624/1	0.12

(1)	(2)
625	0.01
633	0.05
634	0.06
636	0.07
639	0.02
659	0.06
637	0.07
640	0.02
658	0.03
660	0.05
663	0.04
664	0.02
665	0.02
योग . .	0.84

मध्यप्रदेश शासन

666	0.07
महायोग . .	0.91

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के चुरहट वितरक नहर के अन्तर्गत मिसिरगवां माइनर निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थिति संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 23 नवम्बर 2012

क्र. 3303-भू-अर्जन-कार्य-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, जिसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि के उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—त्योंथर

(ग) ग्राम—सहलोलवा-53

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.192 हेक्टयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा	
	अशासकीय भूमि (हे. में)	शासकीय भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)
98	0.369	-
102	0.395	-
106	0.256	-
110	-	0.042
111	0.059	-
112/3	0.072	-
143/1मिन 1	0.099	-
144/6	0.075	-
145/1	0.026	-
145/3	0.047	-
146	0.075	-
148	0.112	-
149	0.132	-
150	0.015	-
328	0.034	-
274	0.122	-
331/1	0.358	-
332	0.120	-
356	0.096	-
356/3	0.096	-
357	0.128	-
358/1	0.127	-
361	0.147	-
363/1	0.105	-
363/2	0.085	
योग . .	3.150	0.042

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली त्योंथर उद्वहन योजना माइनर नहर के निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3305-भू-अर्जन-कार्य-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि के उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—त्योंथर
(ग) ग्राम—शिवपुरवा कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.369 हेक्टयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा	
	अशासकीय भूमि (हे. में)	शासकीय भूमि (हे. में)
(1)	(2)	(3)
5	0.047	-
6/1/1	0.024	-
11/1	0.025	-
12	0.032	-
14	0.038	-
15	0.032	-
16	0.044	-
17	0.044	-
19	0.094	-
32	0.029	-
33	0.029	-
34	0.016	-
35	0.032	-
40	0.057	-
44	0.072	-
46	0.018	-
55	0.067	-
56	0.047	-
58	0.013	-
66	0.012	-
67	0.067	-
68	0.038	-
71/1	0.035	-
71/2	0.053	-
72	0.110	-
82	0.056	-
83	0.005	-
85	0.233	-
योग . .	1.369	-

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली त्योंथर उद्वहन योजना माइनर नहर के निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नीमच, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नीमच, दिनांक 16 नवम्बर 2012

क्रमांक-2087-भू-अर्जन-2012-प्रकरण क्रमांक 13-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—नीमच
(ख) तहसील—नीमच
(ग) नगर/ग्राम का नाम—डुंगलावदा, चंगेरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.730, 5.990 हेक्टेयर

सर्वे नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
ग्राम—डुंगलावदा (कृषि उपज मण्डी हेतु)	
95	0.620
96	1.570
107	0.540
योग . .	2.730

(1)	(2)
ग्राम—चंगेरा (कृषि उपज मण्डी हेतु)	
152	0.180
190	0.420
191	0.120
192	0.120
193	0.060
194/मि 1	0.130
194/मिन 2	0.100
195/मिन 1	0.210
195/मिन 2	0.390
196	0.070
197	0.100
198/मिन 1	0.360
198/मिन 2	0.350
201	0.680
202	0.510
240	0.030
239	0.350
238	0.040
244	0.460
245	0.880
246	0.110
247	0.130
257	0.050
258	0.140
योग . .	5.990

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—ग्राम डुंगलावदा एवं ग्राम-चंगेरा में नवीन कृषि उपज मण्डी हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड, नीमच के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 19 नवम्बर 2012

क्र. 9507-प्र.भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर
(ख) तहसील—सागर
(ग) ग्राम—करैया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.13 हेक्टेयर.

खसरा नं. में से	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
497	0.13
योग . .	0.13

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है—मोकलपुर जलाशय योजना के नहर कार्य हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्री जलसंसाधन संभाग क्र. 1, सागर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण—अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बालाघाट, दिनांक 19 नवम्बर 2012

क्र. 12414-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—बालाघाट
(ख) तहसील—लालबर्रा
(ग) ग्राम—नेवरगांव, प.ह.नं. 59
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.683 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
128/1,2,4	0.113
131/1,2,3	0.020
132	0.121
133/1,2	0.268
144	0.012
145	0.088
146/1	0.012
146/2	0.049
योग . .	0.683

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—वारासिवनी-लालबर्रा मार्ग के कि. मी. 7 ग्राम नेवरगांव में टोल प्लाजा के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण—कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण उप संभाग बालाघाट के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 12415-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—बालाघाट
(ख) तहसील—तिरोडी
(ग) ग्राम—नांदी प. ह. नं. 18
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.692 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
261, 262	0.027
260	0.043
238/1 से 5 तक	0.102
172/24	0.021
175/2	0.047
172/3	0.026
172/2	0.048
172/1	0.378
योग . .	0.692

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—सिवनी-कटंगी-बोनकट्टा राज्य मार्ग के कि. मी. 54 ग्राम नांदी में टोल प्लाजा के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण—कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं अनुविभागीय अधिकारी, लोग निर्माण विभाग सेतु निर्माण उप संभाग बालाघाट के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 12417-अ-82-वर्ष 2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—बालाघाट
(ख) तहसील—बैहर/परसवाड़ा
(ग) ग्राम—पचामा, पोण्डी, दलदला, सोनपुर, नांरगी, घोदी, प. ह. नं. 28 एवं 26
(घ) लगभग क्षेत्रफल—53.292 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
निजी भूमि—ग्राम पचामा	
5/1	0.886
7/1	0.688

(1)	(2)
7/4	0.449
9/1	0.109
9/2	8.098
15	1.169
19	0.829
21/4	0.405
33/3	0.849
योग . .	13.482

निजी भूमि—ग्राम घोदी

55/27	0.085
55/6	0.079
55/12	0.004
55/2	0.049
55/3	0.064
45/3	0.049
45/2	0.029
63/1,3	0.696
योग . .	1.055

निजी भूमि—ग्राम नांरगी

22/10	0.083
22/5	0.028
22/3	0.021
22/9	0.040
22/8	0.045
16/2	0.008
22/7	0.042
22/6	0.021
16/1	0.014
22/1	0.012
22/11	0.021
15/5	0.018
15/1	0.086
15/2	0.049
36/2	0.069
13/2	0.095
13/1	0.114
37	0.004
योग . .	0.770

निजी भूमि—ग्राम दलदला

349	0.067
351	0.113

(1)	(2)
354/2	0.223
362/5	0.084
362/3	0.167
373/1	0.139
373/2	0.045
429	0.062
432	0.045
380	0.061
376	0.012
377/1,4	0.077
426	0.042
422	0.028
420	0.069
410/15,16	0.139
415/2	0.101
413	0.146
414	0.153
378	0.053
389/1	0.042
377/3	0.028
317/1,2	0.096
296/1	0.037
317/3	0.018
314/1	0.151
225/1	0.105
313	0.096
295/1	0.162
263	0.025
295/2	0.037
264	0.259
249/1,2	0.139
248/1,2,3	0.121
217	0.129
230/1,8	0.049
218	0.089
224	0.032
149/2,3	0.168
योग . .	3.609

शासकीय भूमि—ग्राम पंचामा

3/2	1.952
3/1	0.105
6	0.765
7/2	0.400

(1)	(2)
7/3	0.849
8	0.656
10/1	6.977
13/1	0.639
14	0.219
16	0.409
17/1	0.478
17/2	0.081
18	0.242
20	0.660
21/5	1.165
21/6	1.185
30/1	3.440
33/1	8.304
23/1	0.202
10/2	0.223
1/2	0.202
1/3	0.166
योग . .	29.319

शासकीय भूमि—ग्राम घोदी

64	0.056
55/39	0.055
योग . .	0.111

शासकीय भूमि—ग्राम नारंगी

19	0.049
25	0.008
39	0.008
12	0.005
24	0.093
योग . .	0.163

शासकीय भूमि—ग्राम सोनपुरी

319	0.002
योग . .	0.002

शासकीय भूमि—ग्राम दलदला

350	0.012
347/1	0.309
348	0.018
346/2	0.018
342	0.018

(1)	(2)
340/1	0.530
309	0.014
352/1	0.460
360	0.112
361/1	0.014
362/6	0.042
362/7	0.156
375	0.008
387	0.005
408	0.010
151	0.020
30	0.014
योग . .	1.760

निजी भूमि—ग्राम सोनपुरी

289/2	0.046
289/3	0.052
289/4	0.049
288/3,7	0.013
288/1	0.013
288/4, 5	0.083
286/1	0.023
285/2, 6	0.058
284/ 2, 3, 4	0.092
283	0.084
282	0.059
281	0.048
280/3	0.050
280/7	0.042
280/1	0.250
318/1	0.070
320/1	0.028
321	0.041
योग . .	1.101

निजी भूमि—ग्राम नांरगी

35	0.101
36/3	0.056
34/3	0.042
34/2	0.028
31/3	0.028
31/6	0.045
31/1	0.121
30/1	0.028

(1)	(2)
29/2	0.073
43/1	0.012
42/1	0.048
42/2	0.032
41	0.028
9/4	0.032
8/2	0.024
40	0.028
8/1	0.046
7/2	0.046
5/4	0.032
5/1	0.067
योग . .	0.917

निजी भूमि—ग्राम पोण्डी

275/2	0.048
276	0.067
273/1	0.095
282/3	0.026
303/9	0.028
272/2	0.018
303/5	0.093
272/1	0.019
303/1	0.013
272/4	0.010
271	0.090
270/10	0.032
270/8	0.021
270/2	0.008
270/3	0.014
303/7	0.056
योग . .	0.638

निजी भूमि—ग्राम दलदला

134	0.042
38/1	0.251
40/1	0.070
योग . .	0.363

अर्जित की जा रही भूमि का योग

निजी भूमि		शासकीय भूमि	
1. पंचामा	13.484	1. पंचामा	29.319
2. धोटी	1.055	2. धोटी	0.111
3. नारंगी	0.770	3. नारंगी	0.163
	0.917	4. दलदला	1.760
4. दलदला	3.609	5. सोनपुरी	0.002
	0.363		
5. सोनपुरी	1.101	योग . .	31.355
6. पोण्डी	0.638		
योग . .	21.937		
कुल भूमि का योग . .			53.292

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—पंचामा जलाशय के शीर्ष कार्य तथा नहरों के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण—कलेक्टर (भू-अर्जन) अधिकारी, बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन सर्वेक्षण संभाग, बालाघाट के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक कुमार पोरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 20 नवम्बर 2012

क्र. एफ. 1561-भू-अर्जन-1220-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—मैहर
(ग) नगर/ग्राम—हिनौता
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.039 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
333	0.600
334	0.084
335	0.293
336	3.062
निजी खाता भूमि योग . .	4.039

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—अधियारी सागर योजना अन्तर्गत बांध/नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ. 1562-भू-अर्जन-1220-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)
(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—मैहर
(ग) नगर/ग्राम—बदरिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—33.802 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
74	0.240
124/1	0.794
75	0.209
76	0.157
77	0.094
78	0.167
93/2	0.669
79	0.314
81	0.334
82	0.491
83	0.021
80	0.261
84	0.930
85	0.052
86	0.512
87	0.637
105/2	0.115
88	0.439
114/1	0.787
89	0.920
90	0.502
97	0.282
91	1.369
92	0.930
93/1	0.679
94/1	0.146
95/1	0.052
95/3	0.052
94/2	0.136
95/2	0.063
96	1.108
103	0.115
104	0.209
98	0.063
100/2	0.073
101	0.084
102	0.042
99	0.063
100/1	0.073
105/1	0.293
108/1	0.972
108/2	1.045
105/3	0.209
106	0.982
107	0.073
109	0.209
110	1.421
111	0.261
112	1.369
113	0.617
115	0.188
116	0.282

(1)	(2)
139	0.272
117	1.247
138/2	0.799
119	0.167
120	1.181
121/1	0.042
122/1	0.408
123/2	0.418
124/2	0.836
125	0.543
126	1.269
127	0.157
128	0.293
129	1.212
131	0.523
136	0.125
132	1.432
133	0.773
निजी खाता भूमि योग . .	33.802

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—अधियारी सागर योजना अन्तर्गत बांध/नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ. 1563-भू-अर्जन-1220-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—मैहर
(ग) नगर/ग्राम—जोवा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—69.146 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
433/2	1.254
433/2	1.336
434/1	0.549
439/2	0.548
435	1.338
436/1	0.467
438/1	0.319
436/2	0.475
438/2	0.318
437/1	0.642
437/2	0.643
439	0.894
440	1.202
441/1	0.418
446/1	0.836
444/1	0.014
448/1	0.195
441/2	0.418
444/2	0.014
448/2	0.418
448/2	0.195
441/3	0.418
444/3	0.014
446/3	0.836
448/3	0.195
446/4	1.076
442	0.732
443	2.247
445	1.306
447	0.961
459/1	0.603
159/2	0.500
449	1.442
159/3	0.500
460/105	0.148
472/1	0.013
473/1	0.368
460/1ख	0.150
472/3	0.013
473/3	0.368
460/1ग	0.150

(1)	(2)
472/4	0.012
473/4	0.368
460/1घ	0.150
472/5	0.012
473/5	0.368
472/2	0.013
473/2	0.367
460/2	0.405
461	0.951
462	0.826
463	0.293
465/1क	0.763
462/2	0.157
471/2	0.815
646	0.063
465/1ख	1.777
466/10	0.500
466/11	0.500
466/12	0.500
466/13	0.500
466/14	0.500
466/15	0.500
466/16	0.500
466/17	0.500
466/18	0.500
166/19	0.500
467	0.669
468	0.502
469	0.178
470	0.042
471/1	0.826
471/2	0.815
474/1	0.500
474/2	0.600
474/3	0.500
474/4	0.500
475/1	0.497
475/2	0.500
476	3.805
477/1	0.500
477/2	0.500
477/3	0.500
477/4	0.500
477/5	0.727
478/1	0.500
478/2	0.500
478/3	0.421
479/1	0.524
479/2	0.500
480/1	0.490
480/3	0.300
484/1	0.500
485/2	0.105
486	1.275
487	0.564
574	1.432
575	0.021
576	0.606
577	0.188
578	0.240
579	0.031
580	0.397
581	0.763
583/1	0.523
583/2	0.595
584/1	0.522
584/2	0.272
585	0.261
586/1	0.522
586/2	0.522
586/3	0.253
586/4	0.544
587	0.564
588	0.097
589	0.805
590/1	1.748
590/2	1.000
591	0.961
592	0.773
593	0.230
निजी खाता भूमि योग . .	69.146

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—अधियारी सागर योजना अन्तर्गत बांध/नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ. 1564-भू-अर्जन-1220-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—मैहर

(ग) नगर/ग्राम—टीकरखुर्द

(घ) लगभग क्षेत्रफल—20.216 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
419/1	0.500
420	0.031
419/2	0.272
424/4	1.463
421/1	0.742
422/1	0.010
423/1	1.468
421/2	0.193
422/1	0.010
422/1	0.632
421/3	0.549
423/2	0.836
424/1क	0.107
424/1ख	1.463
424/5	1.463
424/2	1.463
424/6	1.463
424/6	1.463
424/2	1.525
426	0.773
427	1.338
428	1.961
429	0.491
निजी खाता भूमि योग . .	20.216

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—अधियारी सागर योजना अन्तर्गत बांध/नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. खरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 23 नवम्बर 2012

क्र. 01-अ-82-2011-12..—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखनीय सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—उज्जैन

(ख) तहसील—नागदा

(ग) ग्राम—पाडल्याकलां

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.650 हेक्टर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)	सर्वे नंबर पर स्थित परिसम्पत्तियां
(1)	(2)	(3)
1161	0.030	—
1150/1	0.015	—
1150/2	0.015	—
1150/3	0.015	—
1150/4	0.015	—
1150/5	0.015	—
1150/6	0.015	—
1150/7	0.015	—
1150/8	0.015	—
1150/9	0.015	—
1150/10	0.015	—
1169	0.020	—
1117/2 मी.	0.030	—
1117/2 मी.	0.040	—
1117/2 मी.	0.080	—

(1)	(2)	(3)
1106/2 मी.	0.070	—
656	0.090	—
663/3मी.	-	—
656, 663/3 मी.	0.080	—
1116	0.050	—
1109	0.010	—
योग . .	0.650	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—नागदा उज्जैन-उन्हेल-नागदा-घिनोदा-जावरा बी.ओ.टी. मार्ग निर्माण (पाडल्या कलां) में स्थित रेल्वे ओवर ब्रिज हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, नागदा में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

हरदा, दिनांक 24 नवम्बर 2012

प्र. क्र. 01-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—हरदा
(ख) तहसील—हंडिया
(ग) ग्राम—जोगाखुर्द, प.ह.नं. 4
(घ) अर्जनीय क्षेत्रफल (कृषि भूमि)—7.349 हेक्टर.

खसरा नंबर	अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में)	विवरण उस पर स्थित संपत्ति
(1)	(2)	(3)
2/2	1.903	—
5/2	2.297	—
5/3	0.370	—
24/1	0.820	—
30	1.959	—
योग . .	7.349	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना में 260 से 262.13 मीटर पर जलभराव किये जाने से प्रभावित निजी भूमि आने से अर्जन किये जाने के कारण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान)का निरीक्षण कलेक्टर, हरदा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग-13, खंडवा एवं भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एनएचडीसी, खंडवा-हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 02-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—हरदा
(ख) तहसील—हंडिया
(ग) ग्राम—महंदगांव, प.ह.नं. 4
(घ) अर्जनीय क्षेत्रफल (कृषि भूमि)—4.669 हेक्टर.

खसरा नंबर	अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में)	विवरण उस पर स्थित संपत्ति
(1)	(2)	(3)
22/1	0.334	—
22/2	0.504	—
22/3	0.534	—
22/4	0.534	—
25/1	1.553	—
27/2	0.430	—
28/1	0.780	—
योग . .	4.669	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना में 260 से 262.13 मीटर पर जलभराव किये जाने से प्रभावित निजी भूमि आने से अर्जन किये जाने के कारण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान)का निरीक्षण, कलेक्टर, हरदा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग-13, खंडवा एवं भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एनएचडीसी, खंडवा-हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 3-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—हरदा
(ख) तहसील—हंडिया
(ग) ग्राम—सिरालिया, प.ह.नं. 4
(घ) अर्जनीय क्षेत्रफल (कृषि भूमि)—11.444 हेक्टर.

खसरा नंबर	अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में)	विवरण उस पर स्थित संपत्ति
(1)	(2)	(3)
14/3	0.561	—
47/4	1.047	—
45/2	2.511	—
17/1	1.980	—
45/1	2.707	—
44	2.638	—
योग . .	11.444	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना में 260 से 262.13 मीटर पर जलभराव किये जाने से प्रभावित निजी भूमि आने से अर्जन किये जाने कारण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान)का निरीक्षण कलेक्टर, हरदा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग-13, खंडवा एवं भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एनएचडीसी, खंडवा-हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 4-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—हरदा
(ख) तहसील—हंडिया
(ग) ग्राम—भैसवाड़ा, प.ह.नं. 4
(घ) अर्जनीय क्षेत्रफल (कृषि भूमि)—12.685 हेक्टर.

खसरा नंबर	अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में)	विवरण उस पर स्थित संपत्ति
(1)	(2)	(3)
26/4	1.177	—
26/3	1.416	—
35/1	0.520	—
24/3	2.023	—
17/2	0.251	—
24/1	2.023	—
22/3	1.379	—
24/2	3.896	—
योग . .	12.685	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना में 260 से 262.13 मीटर पर जलभराव किये जाने से प्रभावित निजी भूमि आने से अर्जन किये जाने के कारण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान)का निरीक्षण, कलेक्टर, हरदा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग-13, खंडवा एवं भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एनएचडीसी, खंडवा-हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 5-अ-82-2011-12.— चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—हरदा
(ख) तहसील—हंडिया

(ग) ग्राम—कालीसराय, प.ह.नं. 4

(घ) अर्जनीय क्षेत्रफल (कृषि भूमि)—4.416 हेक्टर.

खसरा नंबर	अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में)	विवरण उस पर स्थित संपत्ति
(1)	(2)	(3)
17/2	0.554	—
18/4	0.814	—
18/11	0.433	—
18/1	1.000	—
18/3	0.726	—
18/5	0.889	—
योग . .	4.416	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना में 260 से 262.13 मीटर पर जलभराव किये जाने से प्रभावित निजी भूमि आने से अर्जन किये जाने कारण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान)का निरीक्षण कलेक्टर, हरदा कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग-13, खंडवा एवं भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एनएचडीसी, खंडवा-हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुदाम खाड़े, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 26 नवम्बर 2012

क्र. 1435-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि (निजी स्वामित्व की) की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) कृषि भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—मनावर

(ग) ग्राम—कोठड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—498.07 व.मी.

सर्वे/खसरा नम्बर	क्षेत्रफल (वर्ग मी.)
(1)	(2)
46/2	302.07
24/1	196.00
योग . .	498.07

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—"सरदार सरोवर परियोजना (अर्न्तराज्यीय प्रोजेक्ट) में पहुंच मार्ग से प्रभावित होने से".

नोट:—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुवर्नास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि.न.घा.वि.प्रा., मान जोबट संभाग कुक्षी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 26 नवम्बर 2012

क्र. 1179-भू-अर्जन-2012-प्र.क्र. 6-अ-82-2011-12—**संशोधन.**—ग्राम पोखरखुर्द, तहसील भीकनगांव, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश की भू-अर्जन अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत जारी उद्घोषणा क्रमांक 760-भू-अर्जन-12, खरगोन, दिनांक 27 जुलाई 2012, का मध्यप्रदेश के राजपत्र, भाग-1 के पृष्ठ क्रमांक 3778 एवं 3799 में दिनांक 19 अक्टूबर 2012 को त्रुटिपूर्ण प्रकाशन हुआ है. जिसे निम्नानुसार सही संशोधित पढ़ा जावें:—

त्रुटिपूर्ण प्रकाशित प्रविष्ठि		सही संशोधित प्रविष्ठि	
खसरा नम्बर	रकबा (हे. मे.)	खसरा नम्बर	रकबा (हे. मे.)
(1)	(2)	(1)	(2)
8/3	0.974	8/3	0.947
83/3	0.500	83/2	0.500

शेष उद्घोषणा यथावत् रहेंगी.

क्र. 1176-भू-अर्जन-2012-रा. प्र.क्र. 9-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की

अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—भीकनगांव
(ग) ग्राम—डोगरगांव
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.786 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
68/2	0.030
68/3	0.225
70/1/2	0.120
70/2	0.150
71/5	0.090
71/6	0.160
73/1/1	0.160
73/2/1	1.159
73/3/1	1.018
75/1	0.500
75/2	0.140
75/4	0.230
75/5	0.320
83/1	0.270
83/2	0.230
84/1	0.050
84/2	0.150
87/1	0.090
122	0.404
124/2	0.150
124/3	0.100
124/4	0.010
124/5	0.010
125/1	0.020
योग. .	5.786

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य राईजिंग मेन-1, 2, 3 एवं जेकवेल हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला-खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1179-भू-अर्जन-2012-रा. प्र.क्र. 14-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—गोगावां
(ग) ग्राम—जमशेदपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.556 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
2	0.092
3	0.086
4	0.072
9/1	0.306
योग. .	0.556

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेंन-2 हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला-खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1174-भू-अर्जन-2012-रा. प्र.क्र. 15-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक

एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—गोगावां
(ग) ग्राम—सोनगांव
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.396 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
67/7	0.004
67/8	0.142
67/9	0.142
68/1, 68/2	0.324
68/3	0.188
68/4	0.004
68/7	0.220
69/4	0.324
71/1	0.088
71/2	0.280
76/1/2	0.034
76/2	0.258
76/3/2	0.066
76/4	0.322
योग. .	2.396

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेंन-2 हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला-खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1177-भू-अर्जन-2012-रा. प्र.क्र. 16-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—भीकनगांव
(ग) ग्राम—भगवानपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.848 हेक्टर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
93/4	0.462
94/3	0.240
94/4	0.330
121	0.405
123/1	0.140
123/2	0.028
125/3/1	0.180
125/3/2	0.480
125/4	0.110
125/6	0.020
132/1	0.270
131	0.130
150/1	0.101
150/2	0.610
150/3	0.202
150/4	0.140
योग. .	3.848

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य राईजिग मेन 2, 3 बी.टी. पाईन्ट 1, 2 एवं ग्रेविटी मेंन-1, 2 हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला-खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1175-भू-अर्जन-2012-रा. प्र.क्र. 17-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894

(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन

(ख) तहसील—भीकनगांव

(ग) ग्राम—निमोनी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.830 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
22/4	0.020
24/1	0.150
24/2	0.020
24/3	0.220
25/1	0.150
25/2	0.070
25/4	0.090
26/7	0.010
26/8	0.020
26/9	0.060
26/10	0.080
28	0.050
29/2	0.120
29/3	0.150
30	0.200
32/1	0.100
171/8	0.100
171/9	0.160
171/10	0.060
योग. .	1.830

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित आर. एम.-1 हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला-खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1178-भू-अर्जन-2012-रा. प्र.क्र. 18-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन

(ख) तहसील—भीकनगांव

(ग) ग्राम—सेहनाजपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.170 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
58/1	0.041
65/1	0.012
65/2	0.220
66/2	0.180
66/4	0.121
69/2, 70/2	0.303
71/1	0.182
71/2	0.316
71/4	0.300
72/1	0.048
75/1	0.303
75/2	0.121
75/3	0.200
79/1	0.020
79/2	0.360
79/3	0.081
106	0.041
107/1	0.240
108/2	0.250
109	0.041
110/1	0.162
110/2	0.162
111/6	0.064
140/1	0.200
140/2	0.202
योग. .	4.170

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—खरगोन उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य ग्रेविटी मेन-1 हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला-खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 20 नवम्बर 2012

क्र. एफ. 1565-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—मैहर
(ग) नगर/ग्राम—पोड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.067 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
286/1	0.066
379	0.030
323	0.030
324/2	0.010
325	0.018
326	0.013
350	0.024
351	0.014
352	0.017
347	0.009
346	0.009
356	0.012
345	0.009
344	0.006
357	0.035
341/1	0.020
341/2	0.050
68	0.065
67	0.036
616	0.014
617	0.014
618/1क	0.005
640	0.035
619	0.005
639	0.035
621	0.035
622	0.035
36	0.014
37	0.013
623	0.028
28/1	0.010
23	0.013
31	0.032
628	0.030
629	0.030
730	0.048
727	0.025
726	0.018
728	0.017
725/3	0.030
720	0.009
724	0.009
निजी खाता भूमि योग रकबा	1.067

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नकतरा बांध योजना अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ. 1565-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक

प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—मैहर
(ग) नगर/ग्राम—डाड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.435 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
64	0.067
91/1	0.102
94/2	0.246
95	0.014
351/90	0.006
निजी खाता भूमि योग रकबा	0.435

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नकतरा बांध योजना अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ. 1565-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—मैहर
(ग) नगर/ग्राम—नकतरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.425 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
422	0.008
424	0.075
361	0.126
369	0.006
358/2	0.089
356/1क	0.096
356/2	0.048
356/3	0.048
343	0.140
335	0.043
318/1	0.009
318/2	0.088
316	0.014
317/1	0.006
311/1/क	0.033
311/1/ख	0.034
310	0.012
304	0.312
291	0.075
292/2	0.074
293	0.089
निजी खाता भूमि योग रकबा	1.425

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—नकतरा बांध योजना अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. खरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 22 नवम्बर 2012

क्र. 9146-भूमि संपादन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—उज्जैन
(ख) तहसील—उज्जैन
(ग) ग्राम—कस्बा उज्जैन
(घ) लगभग क्षेत्रफल —नीचे अंकित अनुसार.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
1977	रकबा 2.749 में से 1. 85.47 वर्गमीटर पक्का निर्माण गार्डर फर्शी. 2. 40 फीट लंबी एवं 5 फीट ऊंची दीवार. 3. 3.34 वर्गमीटर स्थित मंदिर 4. 22.30 वर्गमीटर गार्डर फर्शी का पक्का निर्माण. 5. 595 वर्गमीटर रिक्त भूमि रकबा 2.749 में से 1. 58.06 वर्गमीटर दो मंजिला कच्चा पुराना मकान जिसमें दुकानें स्थित हैं. 2. 38.83 वर्गमीटर एक मंजिला कच्चा पुराना भवन जिसमें दुकानें स्थित हैं. 3. 6 वर्गमीटर में मंदिर स्थित है. 4. 332 वर्गमीटर रिक्त भूमि स्थित है.
1978	49 वर्गमीटर टीनशेड बना है. रकबा 0.240 हेक्टर में से 89 वर्गमीटर रिक्त भूमि स्थित है.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—प्रेमछाया परिसर एवं मस्तराम अखाड़ा की भूमि सार्वजनिक मार्ग हेतु अधिग्रहण.

(3) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन के न्यायालय में देखा जा सकता है.

क्र. 9148-भूमि संपादन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—उज्जैन
(ख) तहसील—उज्जैन
(ग) ग्राम—कस्बा उज्जैन
(घ) लगभग क्षेत्रफल —नीचे अंकित अनुसार.

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हे. में) (2)
2440/1	रकबा 5.550 हेक्टर में से 678.19 वर्गमीटर में पक्का निर्माण एवं 1551.48 वर्गमीटर पर भूमि रिक्त.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बम्बई वाले की धर्मशाला हेतु भूमि सार्वजनिक मार्ग हेतु अधिग्रहण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन के न्यायालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.